स्मृति पत्र

(1) **संस्था का नाम** : बाघ संरक्षण समिति
(टाइगर प्रोटेक्शन सोसाइटी)

(2) **संस्था का पता** : कार्यालय, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

(3) **संस्था का कार्यक्षेत्र** : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(4) **संस्था के उद्देश्य** :

1. उत्तर प्रदेश में बाघ की पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, प्राकृतवास प्रबन्धन एवं इसके संरक्षण के मानवीय पहलुओं का अध्ययन व शोध करना/करवाना।
2. आबादी से सटे हुये वन क्षेत्रों में प्रवास करने वाले बाघों के संरक्षण के समुचित उपायों को मूर्त रूप देने के लिये सहायता करना।
3. ऐसी समस्त संस्थाओं और कार्यदायी विभागों से समन्वय रखना व सहायता करना, जो बाघ को जानबूझ कर मारने वाले अवैध अपराधियों के संगठित गिरोहों से मुकाबला करने में अग्रणी हों।
4. ऐसी समस्त संस्थाओं और विभागों से सम्पर्क रखना व सहायता करना, जो बाघ की खाल व उसके शरीर के अन्य अवयवों के अवैध व्यापार की समस्या को हल करने के प्रयासों में कार्यरत हों।
5. ऐसे वन वासियों/आदिवासियों को शिक्षित करना व मोटिवेट करना जिन्हें बाहर के संगठित गिरोहों द्वारा बाघ के पकड़ने, फन्दा लगाने व मारने के लिये उकसाया जाता है। ऐसे समुदायों को आजीविका के वैकल्पिक अवसरों में लगाने में सहायता करना।
6. मानव–बाघ संघर्ष की स्थितियों में त्वरित गति से कार्यवाही की रणनीतियों का सृजन करना व इन्हें लागू करने में वन विभाग/संस्थाओं की सहायता करना।
7. संरक्षित क्षेत्र के बाहर के वन क्षेत्रों में काम कर रहे वन कर्मियों को बाघ सुरक्षा एवं संरक्षण में प्रशिक्षित करने में वन विभाग/सम्बन्धित संस्थाओं की सहायता करना।
8. वन विभाग व सम्बन्धित संस्थाओं को बाघ से सम्बन्धित अपराधों

को रोकने के लिये अनुसन्धान, रोकथाम और अभिसूचना एकत्र करने में सहायता करना।

9. संरक्षित क्षेत्रों व ऐसे वन क्षेत्रों में जहां पर्याप्त संख्या में बाघ प्रवास करते हों, वहां पर बाघ सुरक्षा दलों को पर्याप्त संसाधन जुटाने व आधुनिकीकरण में सहायता करना।
10. ऐसे स्थानों में जहां उचित समझा जाये वहां लीगल सेल व क्राइम डाटा सेल की स्थापना करना ताकि अपराधियों को न्यायालय से कड़ा दंड दिलवाने में वन विभाग / संस्थाओं की सहायता की जा सके।
11. स्थानीय समुदायों की बाघ संरक्षण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये ईको–विकास कार्यक्रमों को चलाने मे वन विभाग/संस्थाओं की सहायता करना व बाघ संरक्षण के फलस्वरूप ईको–टूरिज्म से जुड़े लाभों यथा रोजगार सृजन, पूंजी निवेश व बेहतर क्षेत्रीय विकास से स्थानीय समुदायों को लाभान्वित कराना।
12. एक डाटा बैंक की स्थापना करना, जो बाघ के अवैध शिकार व इससे जुड़े अवैध व्यापार के बारे में प्रदेशों, संघीय क्षेत्रों एवं भारत सरकार से नेटवर्किंग के आधार पर आंकड़ों का आदान–प्रदान कर सके।
13. एक परामर्शदात्री सेवा (कन्सलटेन्सी सर्विस) को विकसित करना तथा आवश्यकता के आधार पर बाघ के प्राकृतवास, प्रबन्धन सम्बधी परामर्शों और सुझावों को प्रदेश सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उपक्रमों को प्रेषित करना।
14. 'समिति' के नियमों तथा उप नियमों के अधीन शोध सहायता, फैलोशिप, स्कालरशिप, पुरस्कार सम्मान एवं मेडल्स प्रदान करना।
15. 'समिति' के उद्देश्यों या अन्य प्रयोजनों की पूर्ति हेतु धनराशि स्वीकार करना, एकत्रित करना या विकसित करना, ऐसी किसी भी धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना या आवश्यकतानुसार निवेश करना।
16. उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यकतानुसार 'समिति' के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश व वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(5) **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं संस्थापक सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:**

क्र.सं.	नाम व पता	पद	व्यवसाय
1.	प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष	शासकीय सेवा
2.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
3.	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
4.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश	सदस्य	शासकीय सेवा
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष	शासकीय सेवा
6.	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह, उ.प्र. शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
7.	प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
8.	मण्डलीय रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ	सदस्य	शासकीय सेवा
9.	मण्डलीय रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ	सदस्य	शासकीय सेवा
10.	आयुक्त, सीमा शुल्क(कस्टम्स),भारत सरकार,लखनऊ	सदस्य	शासकीय सेवा
11.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान चन्द्रबनी, देहरादून	सदस्य	भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था की सेवा में
12.	महासचिव, विश्व प्रकृति निधि–भारत	सदस्य	गैरसरकारी संस्था की सेवा में
13.	नामित व्यक्ति, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य	गैरसरकारी संस्था की सेवा में
14.	नामित व्यक्ति, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य	गैरसरकारी संस्था की सेवा में
15.	प्रतिनिधि, वन्य जीव व पक्षी विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	सदस्य	विश्वविद्यालय की सेवा में
16.	श्री बिलीअर्जन सिंह, पलिया, जिला खीरी	सदस्य	गैरसरकारी व्यक्ति

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति–पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

हस्ताक्षर
सभी संस्थापक सदस्य /
सभी समिति के सदस्य